

धर्मपाल सिंह
मंत्री
सिंचाई, सिंचाई (यांत्रिक) विभाग उ.प्र.



2372/10-27-सिं0-4
कार्यालय कक्ष सं.: 65-66 मुख्य भवन
दूरभाष सं.: 2238079 (का.)
: 2213258 (सी.एच.)
२२७ (५) / २०१७
दिनांक : ०३.१०.१८

प्रिय महोदय,

प्रदेश की नहरों/ड्रेनों/रजवाहों/माइनरों की सिल्ट सफाई के कार्यों में गुणवत्ता, समयबद्धता, पारदर्शिता बनाये रखने हेतु सिल्ट सफाई के कार्यक्रम की सूचना क्षेत्र के सम्बन्धित जन प्रतिनिधियों को उपलब्ध कराने, सिल्ट सफाई कार्यक्रम की पूर्ण सूचना की विज्ञप्ति जारी करने, ड्रोन तकनीक का प्रयोग कर सिल्ट सफाई कार्य के प्रारम्भ से पूर्व कार्य अवधि में एवं कार्य पूर्ण होने के उपरान्त फोटोग्राफी एवं वीडियोग्राफी कराने हेतु सचिव, सिंचाई एवं जल संसाधन विभाग, उत्तर प्रदेश शासन की ओर से शासनादेश संख्या-155/2018/1681/2018-27-सिं0-4-46(डब्ल्यू)/2012, दिनांक 29 जून, 2018 निर्गत किया गया है, जिसके द्वारा सिल्ट सफाई के उपरान्त नहरों/ड्रेनों/रजवाहों/माइनरों के किनारों का सुदृढीकरण किये जाने के सम्बन्ध में जन प्रतिनिधियों को साथ लेकर या उनकी उपस्थिति में कार्य कराये जाने हेतु निर्देश दिये गये हैं।

2. इस सम्बन्ध में मुझे अनुरोध करना है कि कृपया अपने-अपने विधान सभा/परिषद क्षेत्र में स्थित नहरों/ड्रेनों/रजवाहों/माइनरों की सिल्ट सफाई के कार्यों में गुणवत्ता, समयबद्धता आदि के सम्बन्ध में अधोहस्ताक्षरी को सूचना (Feedback) उपलब्ध कराने की कृपा करें।

भवदीय

(धर्मपाल सिंह)

समस्त मा0 सदस्य,
विधान सभा/विधान परिषद,
उत्तर प्रदेश।